इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न राज्यों मे बहुमूल्य रत्नो वाले जिन क्षेत्रो का जिन क्षेत्रो का पता लगाया गया है वे निम्नानुसार है :-

रत्न	राज्य	क्षेत्र
हीरा	मध्य प्रदेश	1. पन्ना हीरा क्षेत्र, जिला पन्ना, छत्तरपुर तथा दामोह।
		2. पयालीखंड-बहराडीह क्षेत्र, जिला रायपुर।
	आध्रं प्रदेश	1. बज्राकरूर किम्बरलाइट क्षेत्र, जिला अनन्तपुर।
		2. बंगानापल्ली कोंग्लोमरेट, जिला कुरनृल।
		3. कृष्णा नदी, ग्रेवल्स, गुंटूर तथा क्रष्णा जिले।
पन्ना	राजस्थान	1. बुबानी-मुहामी-राजगढ़ क्षेत्र, जिला अजमेर।
		2. कालीगुमर-टेखी-गांव-गुडा क्षेत्र, जिला उदयपुर।
	उड़ीसा	1. जिला बोलनगीर।
रूबी	उड़ीसा	1. झिल्लींगधर क्षेत्र, जिला कालाहाण्डी
	आध्रं प्रदेश	1. जिला खम्माम।
एलेक्जेनड्राइट	केरल	1. जिला त्रिवेन्द्रम।
	मध्य प्रदेश	1. देवभोग क्षेत्र, जिला रायपुर।
नीलम (सैफाइअर)	जम्मू और कश्मीर	1. पाडर क्षेत्र, जिला डोडा।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य में रत्नों का खनन-कार्य शुरू करने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

कम्पनी अधियिनम, 1956 की धारा 3 की उपधारा 1 में यथा परिभाषित कोई भी कम्पनी या भारतीय नागरिक खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार खनन पट्टर प्राप्त करने के पश्चात् खनिज संसाधनों का विदोहन कर सकता हैं।

Limestone and Bauxite in Scheduled Minerals

2246. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat have sent a proposal for deletion of Limestone and Bauxite from the list of scheduled minerals shown in Scheduled I of MMRD ACT, 1957;

(bj) if so, the detailed action thereon; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (c) Yes, Sir. The proposal for deletion of Limestone and Bauxite from Schedule I of the Mines and Minerals (Regulation and development) Act, 1957, has been considered by the Committee constituted under the Chairmanship of Secretary (Mines) with the Secretaries of some of the State Governments including the Government of Gujarat, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries, Controller General, Indian Bureau of Mines etc. as members. The terms of reference of the Committee inter-alia, included review of the existing laws and procedures governing regulation and development of minerals and to recommend steps to make them compatible with the policy changes and to suggest steps to reduce delays in grant/renewal of Prospecting Licences/Mining Leases. The